

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : पंचायती राज विभाग।
तारांकित प्रश्न संख्या : *1075
उत्तर की तिथि : 20 दिसम्बर, 2023
विषय : बंद पड़ी दुकानें ।
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री रणवीर सिंह (निकका) (नूरपुर)
सम्बन्धित मन्त्री : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) ब्लाक समिति नूरपुर की दुकानें जो जसूर में बनी है, सरकार उन्हें कब तक आवंटित करने का विचार रखती है; और (ख) इन बंद दुकानों के कारण सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है; ये दुकानें किन शर्तों पर आवंटित की जाएगी; ब्यौरा दें ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री रणवीर सिंह (निक्का) (नूरपुर) द्वारा किये गए तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या *1075 से सम्बंधित सभा पटल पर रखी गई सूचना ।

(क) पंचायत समिति नूरपुर द्वारा ग्राम पंचायत जसूर में 29 नई दुकानों का आवंटन सम्बंधित पंचायत समिति, जोकि एक स्वायत्त संस्था है, द्वारा किया जाना है न कि सरकार द्वारा । पंचायत समिति की बैठक दिनांक 17.10.2023 के प्रस्ताव संख्या 13 अनुसार पारित किया गया है कि इन दुकानों का कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवा कर उनके आवंटन की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार अमल में लाई जायेगी।

(ख) बन्द दुकानों के कारण सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि इन 29 दुकानों का अतिरिक्त कार्य जैसे प्रांगण में पानी की निकासी हेतु नालियां व उनके उपर स्लैब/लोहे का कार्य को पूर्ण करवाना शेष रहता है। इस शेष बचे अतिरिक्त कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करवा कर उनके आवंटन की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार अमल में लाई जायेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत समिति के व्यवसायिक परिसरों, भवन तथा सम्पत्ति को किराये पर देने एवं आवंटन करने बारे दिनांक 12 मार्च 2018 को कार्यालय आदेश जारी किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रावधान है :-

1. सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना0) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष पंचायत समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति सदस्य होंगे । इसके अतिरिक्त पंचायत निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।
2. समिति के व्यवसायिक परिसरों, भवन तथा सम्पत्ति को किराये पर देने के निम्न नियम व शर्तें होगी :-

- (1) किराये/लीज पर दी जाने वाली सम्पत्ति का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों या बाजार में चल रही दरों में से जो अधिक होगा, नियत किया जाएगा।
- (2) किराये की वृद्धि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप रखा जायेगा।
- (3) यदि कोई किराएदार किराया नहीं देता है अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे पंचायत समिति की सम्पत्ति को 30 दिनों की अवधि के अन्दर खाली करना होगा तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उसी से की जायेगी।
- (4) किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देने का अधिकार नहीं होगा और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (5) सम्पत्ति को किराये पर देने से पूर्व व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर खुली बोली से दिया जायेगा।
- (6) व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली के बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा की जायेगी।
- (7) किरायेदार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले किराये की अदायगी की जायेगी अन्यथा परिसर खाली करवा दिया जायेगा।
- (8) किराये पर दी गई सम्पत्ति की यदि विभाग या पंचायत समिति को अपने प्रयोग के लिए आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में किरायेदार को 15 दिनों का नोटिस देने पर उसे सम्पत्ति को खाली करना होगा।
- (9) किरायेदार को 2 माह के किराये का अग्रिम भूगतान करना होगा तथा परिसर को खाली करने पर उस अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
- (10) किरायेदार सुनिश्चित करेगा कि किराये पर ली गई सम्पत्ति/परिसर को साफ सुथरा रखे।